


बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग


॥ शुद्धि पत्र ॥

पटना-15, दिनांक- 21.1.16
संख्या-12/प0-(मू0को0) 405/14-सा0प्र0- 1114 /विभागीय अधिसूचना सं0-1039 दिनांक
20.01.2016 के क्रम सं0-13 पर अंकित पदाधिकारी श्री अनिल कुमार राय, को0 क0- 974/11, की
जगह संशोधित रूप में श्री अनिल राय, को0 क0- 974/11 पढ़ा जाय ।
अधिसूचना को उक्त हद तक संशोधित किया जाता है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(विजय मोहन नागपटनी)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-12/प0-(मू0को0) 405/14-सा0प्र0- 1114 /पटना, दिनांक- 21.1.16
प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र
में प्रकाशनार्थ (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार, बिहार,
पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव,
मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, बिहार
प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, पटना/अध्यक्ष, सेंटर फॉर गुड गवर्नेन्स सोसाईटी, पटना/प्रधान
सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार,
पटना/प्रधान सचिव, उर्जा विभाग, बिहार, पटना /अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार पावर होल्डिंग
कम्पनी लि0, पटना/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव,
समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष, बिहार राज्य महिला आयोग, पटना/प्रधान सचिव, लघु
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, ब्रेडा, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम,
पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव,
बिहार, पटना/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई0टी0,
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइड पर डालने हेतु /संबंधित
पदाधिकारी/प्रशाखा-2, 8 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के अवर सचिव